कार्यालय जिला परिषद् सुपौल

संविदा आधारित सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी–सह– लेखापाल, मुख्य लेखा पदाधिकारी–सह– राजस्व पदाधिकारी, सहायक अभियन्ता, अमीन एवं उच्च वर्गीय लिपिक पद के नियोजन हेतु

विज्ञापन

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 10000 पटना–15, दिनांक 10.07.2015 के अनुरूप पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 11868/पं0रा0 पटना, दिनांक 12.12.2022, पत्रांक 12283/पं0 रा0 पटना, दिनांक 22.12.2022, 8809/पं0रा0 पटना, दिनांक 02.08.2023, पत्रांक 2325/पं0रा0 पटना, दिनांक 12.03.2024 एवं पत्रांक 5058/पं0रा0 पटना, दिनांक 11.06.2024 के आलोक में जिला परिषद् सुपौल अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/जिला परिषद/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम से सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी–सह– लेखापाल, मुख्य लेखा पदाधिकारी–सह– राजस्व पदाधिकारी, सहायक अभियन्ता, अमीन एवं उच्च वर्गीय लिपिक पद के लिए आमंत्रित की जाती है :–

क्र0सं0	पदनाम	रिक्ति की स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	लेखा पदाधिकारी–सह– लेखापाल	01	
2	मुख्य लेखा पदाधिकारी–सह– राजस्व पदाधिकारी	01	
3	सहायक अभियन्ता	01	
4	अमीन	01	
5	उच्च वर्गीय लिपिक	01	

आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2025 से 09.08.2025 तक जिला परिषद् कार्यालय सुपौल में कार्यालय अवधि में सीधे या निबंधित डाक या जिला परिषद् Email-id- Zilaparishadsupaul@gmail.com के माध्यम से भेजा जा सकता है।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त्त निम्न प्रकार है :–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक –एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद् द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवको का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परन्तु वैसे पदों जिनकी सेवानिवृति की आयु भी 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।
2. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत सेवको का चयन किए जाते समय उनके अपने दायित्वो के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैसनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी, द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
3. आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
4. संविदा पर नियोजित कर्मी का मानदेय उन्हे प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन +सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि +सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा।
5. मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

6. नयी पेंशन योजना से आच्छदित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम /लोक –उपक्रमो से सेवानिवृत कर्मियो का संविदा पर नियोजन सेवानिवृति के समय धारित पद /समकक्ष पदो पर किया जा सकेगा।

ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियो का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का आरंभिक वेतन/वेतन स्तर (Pay Level) का प्रारंभिक वेतन +उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन + महंगाई भता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप मे अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि मे स्थिर रहेगा।

7. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत कर्मियो को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवको की भांति क्षतिपूर्त्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

8. नियोजित संविदा कर्मी को जिला परिषद् के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा। जिसमे नियम एवं शर्त्त रहेगी।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दी जायेगी।

10. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

16.07.25

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद् सुपौल।

जिलाधिकारी,
सुपौल।